1/74215/2021 **उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग-1

संख्या-7/2022/79-वि-1-2021-31/2017

लखनऊः दिनांक 28 जून, 2021

कार्यालय-आदेश

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा अन्तर्विभागीय परामर्श से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को तत्काल प्रभाव से ई-आफिस के माध्यम से व्यवहृत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विधायी विभाग में विधीक्षण सम्बन्धी कार्यों को ई-आफिस प्रणाली के माध्यम से व्यवहृत किये जाने हेतु विधायी अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्य-आदेश संख्या-2039/795वि-1-2020-31/17, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के माध्यम से विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन में नियुक्त विधीक्षण अधिकारी श्रीमती रूमा अग्रवाल एवं सुश्री पल्लवी वर्मा के शासकीय उपयोगार्थ दो डी0एस0सी0 (डोंगल) सी0जी0एस0टी0 व एस0जी0एस0टी0 सहित रूपये 1708/- प्रति नग की दर से कुल मूल्य रूपये 3416/- (रूपये तीन हजार चार सौ सोलह मात्र) में बनवाकर उपलब्ध कराये जाने का आदेश उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के लिए निर्गत किया गया था। उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उक्त दो डी0एस0सी0 (डोंगल) बनवाकर विधायी विभाग के विधीक्षण अधिकारियों श्रीमती रूमा अग्रवाल एवं सुश्री पल्लवी वर्मा को प्राप्त कराये जा चुके हैं।

2- इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त दोनों डी0एस0सी0 (डोंगल) को बनवाने सम्बन्धी यू0पी इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त बिल/देयक संख्या-63/1 (डीएससी) 2020-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 में सी0जी0एस0टी0 व एस0जी0एस0टी0 सहित अंकित कुल मूल्य **रूपये 3416/- (रूपये तीन हजार चार सौ सोलह मात्र)** का भुगतान यू0पी इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-42 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) -04 -विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता -08-कार्यालय व्यय " के नामें डाला जायेगा।

ह0/-

(अतुल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- (1)7/2022/79-वि-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, एल0जे0 कम्पाईलेशन सेक्शन, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (लेखा कोष्ठक के माध्यम से) ।

3- न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ), को मूल बिल/देयक संख्या-63/1 (डीएससी) 2020-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 एवं आदेश की एक अतिरिक्त प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त धनराशि का बजट आवंटन न्याय अनुभाग-9 (बजट) से प्राप्त कर भुगतान यू0पी इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 को उनके इण्डियन बैंक, अशोक मार्ग शाखा, लखनऊ के खाता संख्या-772819168, आईएफएससी कोड- आईडीआईबी000एल002 में करने का कष्ट करें। यू0पी इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, द्वारा प्रेषित सुसंगत जी0एस0टी0 एवं इन्कम टैक्स से सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धी सूचना पत्र भी संलग्न कर प्रेषित हैं।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

5- न्याय अनुभाग-9 (बजट) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सुसंगत लेखाशीर्षक में विषयांकित धनराशि रूपये 3,416/- का ऑनलाईन आवंटन तत्काल करने का कष्ट करें।

6- यू0पी इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 को उनके देयक संख्या-63/1 (डीएससी) 2020-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 के संदर्भ में।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/-

(दिलीप कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।